

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
महोदय,

सामान्य नियम व्यवहार के नियम 404 के अन्तर्गत प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक लिपिक द्वारा तैयार की गई लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, वाहन चालक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग की ग्रेडेशन लिस्ट वर्ष 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित-01.07.2026 द्वारा समस्त संवर्ग कर्मचारियों के मध्य परिचालित की गई है एवं दिनांक-08.07.2026 तक ग्रेडेशन लिस्ट पर आपत्ति आमंत्रित की गई है। आशुलिपिक संवर्ग में श्री बद्री प्रसाद मिश्र द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। लिपिकीय संवर्ग में श्री प्रेमचन्द्र, कनिष्ठ सहायक, श्री शुभम सिंह, कनिष्ठ सहायक एवं श्री आदर्श तिवारी, कनिष्ठ सहायक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। वाहन चालक संवर्ग में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में श्री सत्य नारायण चौरसिया व 06 अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त आपत्तियों के निस्तारण एवं अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने हेतु दिनांक 09.07.2026 को प्रशासनिक समिति को सन्दर्भित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक समिति की बैठक आज आहूत की गयी, जिसमें श्री राकेश पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट, न्यायालय संख्या-02 एवं श्री श्याम मोहन जायसवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03 सदस्यगण उपस्थित हैं। इस संबंध में प्रशासनिक समिति द्वारा वरिष्ठता सूची, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों, प्रशासनिक लिपिक एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से आख्या आहूत की गई।

प्रशासनिक समिति द्वारा वरिष्ठता सूची, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों, प्रशासनिक लिपिक एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की संयुक्त आख्या दिनांकित-15.07.2026 तथा नियमों एवं सम्यक आदेशों एवं शासनादेशों का परिशीलन किया गया।

आपत्ति निस्तारण श्री बद्री प्रसाद मिश्र आशुलिपिक:- उनका नाम ग्रेडेशन लिस्ट में क्रम संख्या-02 पर अंकित है, जिसमें पदोन्नति की तिथि 29.04.2020 अंकित है, जो सही है, परन्तु क्रम संख्या-03 व 04 पर क्रमशः श्री राजकुमार श्रीवास्तव व श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के स्टेनोग्राफर के प्रमोशन की तिथि दिनांक-29.04.2019 अंकित है, जो उनके प्रमोशन की तिथि से पहले की है, जिसका सही होना न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रमोशन की पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका का समिति द्वारा परिशीलन किया गया, जिसके अनुसार श्री राजकुमार श्रीवास्तव व श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की प्रमोशन की तिथि 17.01.2023 है, जिसे ग्रेडेशन लिस्ट में संशोधित किया गया। इस प्रकार श्री बद्री प्रसाद मिश्र, आशुलिपिक द्वारा प्रस्तुत ग्रेडेशन लिस्ट के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति निस्तारित की जाती है।

g.

N

आपत्ति निस्तारण श्री प्रेमचन्द्र कनिष्ठ सहायक:- जनपद न्यायालय सुलतानपुर में दिनांक-20.02.2023 को तृतीय श्रेणी के रिक्त 05 पदों पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी एवं उपयुक्त पाए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री प्रेम चन्द्र के बाबत एक पद रिक्त रखा गया, जिसपर उपरोक्त कर्मचारी द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुलतानपुर के समक्ष दाखिल विभागीय अपील के परिणामों के अध्याधीन पदोन्नति की जाएगी। श्री प्रेमचन्द्र का प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय से निस्तारित होने के पश्चात् इनकी पदोन्नति तृतीय श्रेणी संवर्ग में दिनांक-17.05.2024 को की गई एवं श्री प्रेमचन्द्र द्वारा दिनांक-22.05.2024 से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के भाग दो ज्येष्ठता का अवधारण प्रस्तर 5 की व्यवस्था के अन्तर्गत जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाती हो, वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी वरिष्ठता सूची में दिखायी गयी है:-

प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी का विनिश्चित अन्तिम होगा।

अग्रस्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

इस प्रकार वरिष्ठता सूची में श्री प्रेमचन्द्र को दिनांक-20.02.2023 से वरिष्ठता न प्रदान कर दिनांक-17.05.2024 वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है, जो नियमानुसार है। समिति द्वारा श्री प्रेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।

आपत्ति श्री आदर्श तिवारी कनिष्ठ सहायक एवं श्री शुभम सिंह कनिष्ठ सहायक:- श्री आदर्श तिवारी कनिष्ठ सहायक एवं श्री शुभम सिंह कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति क्रमशः दिनांक-01.07.2025 एवं 19.11.2025 को जनपद न्यायालय सुलतानपुर में तृतीय श्रेणी संवर्ग में हुई है का नाम वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं था, जिसे अब वरिष्ठता सूची में अंकित कर दिया गया है। तदुसार श्री आदर्श तिवारी कनिष्ठ सहायक एवं श्री शुभम सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

श्री सत्य नारायण चौरसिया व 06 अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निस्तारण निम्नवत् है:-

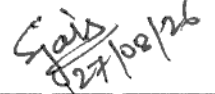
01 प्रशासनिक लिपिक एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की संयुक्त आख्या दिनांकित-15.07.2026 के अनुसार श्री पीर मोहम्मद खां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक-05.12.2012 को श्री राम वचन सिंह के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर जनपद न्यायालय जौनपुर से इस जजशिप में आए हैं एवं उन्हें वरिष्ठता सूची में अन्तिम चयनित कर्मचारी श्री ब्रह्मदेव मिश्रा जो कानपुर देहात से स्थानान्तरित होकर आए थे, उनके नीचे रखा गया था, जो नियमानुकूल था।

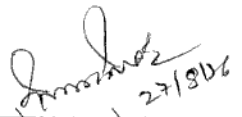
श्री पीर मोहम्मद खां की पदोन्नति जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक-24.04.2020 को दफ्तरी के पद पर की गई है। प्रत्यावेदन में यह इंगित किया गया है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा श्री पीर मोहम्मद खां का दफ्तरी के पद पर जो प्रोन्नति की गई है, गलत है। श्री पीर मोहम्मद खां की पदोन्नति जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुसार दफ्तरी के पद पर की गई है और उन्हें वरिष्ठता सूची में दफ्तरी संवर्ग में रखा गया है, जो नियमानुसार है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश पर प्रशासनिक समिति द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना समीचीन नहीं है। प्रत्यावेदनकर्तागण के पास इस सम्बन्ध में विधिक उपचार उपलब्ध था, इस स्तर पर श्री पीर मोहम्मद खां के दफ्तरी के पद पर पदोन्नति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश पर की गई है, जो नियमानुसार है। अतः समिति द्वारा प्रत्यावेदन का यह बिन्दु निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।

02 प्रशासनिक लिपिक एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की संयुक्त आख्या दिनांकित-15.07.2026 के अनुसार श्री रवि दत्त मिश्रा द्वारा वर्ष 2019 में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, कि वर्ष 2004 में नियुक्त कर्मचारियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन कार्यरत हैं, को ग्रेडेशन लिस्ट में न सम्मिलित की जाए, जिसका निस्तारण तत्कालीन प्रशासनिक समिति द्वारा दिनांक-20.05.2019 को किया गया था एवं समिति द्वारा उ०प्र० सरकारी सेवा जेष्ठता नियमावली 1991 के भाग-2 जेष्ठता का अवधारण के प्रस्तर-05 की व्यवस्था के अनुसार पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे, उद्धृत करते हुए निस्तारित किया गया था। अतः समिति द्वारा प्रत्यावेदन का यह बिन्दु निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।

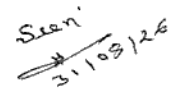
03 प्रशासनिक लिपिक एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की संयुक्त आख्या दिनांकित-15.07.2026 के अनुसार आपत्ति के बिन्दु संख्या-03 के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि ग्रेडेशन लिस्ट सर्विस बुक के अनुसार तैयार नहीं की जाती है, अपितु नियुक्ति के क्रम में तैयार की जाती है, जो नियमानुसार है। अतः समिति द्वारा प्रत्यावेदन का यह बिन्दु निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रशासनिक समिति द्वारा प्रत्येक संवर्ग के पृथक्-पृथक् ग्रेडेशन लिस्ट कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त अद्यतन करते हुए माननीय महोदय के समक्ष सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।


(श्याम मोहन जायसवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, सुलतानपुर।
सदस्य


(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट,
न्यायालय संख्या-02, सुलतानपुर।
सदस्य


(संध्या चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-01, सुलतानपुर।
अध्यक्ष


District Judge
Sultanpur